देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्द्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/kdgl/19 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 19 अगस्त 2022

सावधान!!!

यदि आपकी प्याज की कचौरी मे भी छिपकली निकल जाए,तो उसकी शिकायत मत कीजिये!!
और ना ही सोशल मीडिया पर उसे वायरल कीजिये!!
अन्यथा आपको भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है!!

रावत मिष्टान भंडार ने अपनी लाज बचाने के लिए शिकायतकर्ताओ को ही ब्लेकमैलर दिया करार!!
मीडिया को किया गुमराह!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

आखिर क्यूँ रावत मिष्टान भंडार द्वारा मीडिया को गुमराह करने के लिए,
उन्हे अपने पोलोविक्ट्री स्थित कारखाने की विजिट करवायी गयी?
जबकि प्याज की कचौरी मे छिपकली उसकी अजमेर रोड स्थित दुकान मे निकली थी?

आखिर क्यूँ जांच प्रक्रिया द्वारा क्लीन चिट्ठ लेने की बजाय,
रावत के कर्ताधर्ताओ ने शॉर्ट कट अपनाया?

जब पुलिस के पास ब्लेकमेलिंग के पर्याप्त सबूत थे,
तो क्यूँ आईपीसी की धारा 386 मे कार्यवाही करने की बजाय,
दोनों शिकायतकर्ताओ को 151 मे गिरफ्तार कर,
डराने का प्रयास किया गया?

इस प्रकरण मे श्याम नगर थाने मे दर्ज
एफ़आईआर संख्या 0311/2022 का क्या हुआ?

क्या इस प्रकरण मे श्याम नगर पुलिस द्वारा
उक्त कचौरी,उसमे से निकली छिपकली,सीसीटीवी कैमरे फुटेज
और ब्लेकमेलिंग मे प्रयुक्त 50 हजार रुपयो को जब्त कर,
अग्रीम जांच करवाई गयी?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या यह सही नहीं है कि रावत मिष्टान भंडार द्वारा ही
उन दोनों युवको को रुपए का लालच देकर,
खरीदने और मामला रफा-दफा करने की कोशिश की गयी थी?

रावत मिष्टान भंडार के कर्ता धर्ताओ और दोनों युवको के बीच
कितनी राशि मे सेटलमेंट होना तय किया गया था?

फ़र्स्ट इंडिया न्यूज द्वारा प्रकाशित समाचार मे,
जिस ग्राहक द्वारा रावत कचौरी के पक्ष मे गुणगान किया जा रहा था,
क्या वह शख्स रावत मिष्टान भंडार का ही कर्मचारी नहीं है?

रावत मिष्टान भंडार के मेनेजर शंकर लाल विश्नोई के अनुसार,
क्या प्याज की कचौरी के टुकड़े मे जानबूझ कर,
फिश के टुकड़े को डाला गया था?

सीएमएचओ नरौत्तम शर्मा की कार्यप्रणाली भी शक के दायरे मे!!
आखिर क्यूँ उनके द्वारा अब तक कचौरी मे
छिपकली या मछली होने की पुष्टि नहीं की गयी है?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

सावधान!!!यदि आपकी कचौरी,समौसे मे भी छिपकली निकल जाए तो उसकी शिकायत मत कीजिये!

और ना ही सोशल मीडिया पर उसे वायरल कीजिये! अन्यथा आपको भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है!

सोचिए,अगर आप कचोरी खाने के शौकिन है और आप कचोरी खाने जयपुर के नामी मिष्ठान भंडार पर जाते है,जैसे ही आप कचोरी खरीदकर खाने लगते है उसमें आपको मरी हुई छिपकली नजर आती है, तो ऐसे मे आप क्या करेंगे?

शायद आप वही करेंगे जो करीब दो माह पहले अजमेर रोड,सोडाला स्थित विश्व प्रसिद्ध रावत मिष्टान भंडार से कचौरी के शौकीन दो युवको अखिल अग्रवाल और सुदीप अग्रवाल ने किया था|19 जून को यह दोनों युवक शहर के इस प्रतिष्ठित कचौरी की दुकान पर कचौरी लेने गए जब घर जाकर,उन्होने प्याज की कचौरी खानी शुरू की तो यह देखकर,दंग रह गए कि उनके द्वारा लायी गयी, एक कचौरी मे मृत छिपकली थी|हक्के-बक्के इन दोनों युवको को कुछ नहीं सुझा और यह दोनों युवक दुकान पर, दुकान मालिक को ग्राहको की सेहत से खिलवाड़ करने का उलाहना देने गए|

कचोरी में छिपकली! छवि धूमिल करने की धमकी देकर मांगे रुपए

ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज : पचास हजार रु. लेते कैमरे में कैद

जयपुर @ पत्रिका. पिछले दिनों कचोरी में छिपकली निकलने के मामले में अब मिष्ठान भंडार के मैनेजर ने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए श्याम नगर थाने में एफआइआर दर्ज कराई है। मैनेजर शंकर लाल बिश्नोई की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। डीसीपी साउथ मृदुल कच्छावा ने बताया कि मामले में आरोपी दो युवकों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामले के अनुसार 19 जून को अखिल व सुदीप अग्रवाल अजमेर रोड स्थित रावत मिष्ठान भंडार से कचोरी पैक कराके ले गए थे।

कुछ देर बाद लौटे और बताया कि कचोरी में मरी हुई छिपकली निकली है। आरोपी धमकी देकर निकल गए।

मंगलवार शाम को आरोपी फिर से दुकान आए और वीडियो-फोटो दिखाकर वायरल की धमकी देने लगे। मैनेजर से एक लाख रुपए की मांग की। बातचीत में सौदा 50 हजार रुपए में तय हुआ। दोनों आरोपी एक लिफाफे में रुपए ले गए। इसकी फुटेज वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। मैनेजर का कहना है कि कचोरी में छिपकली नहीं निकली है, छवि धूमिल करने की धमकी देकर आरोपी वसूली कर रहे हैं।

लेकिन दुकान के कर्ता धर्ताओ ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हे भला-बुरा कह कर वहाँ से रवाना कर दिया|जिसके चलते मजबूरन इन दोनों युवको द्वारा सीएमएचओ को इस मामले की शिकायत की गयी, साथ ही मीडिया मे भी इस खबर को वायरल कर दिया|इस खबर को मीडिया द्वारा हाथो-हाथ लिया गया और फ़र्स्ट इंडिया और अन्य समाचार चैनलो द्वारा प्रमुखता से इस खबर को चला कर,रावत मिष्टान भंडार की पोल खोल कर रख दी|

जैसे ही मिष्ठान भंडार के कर्ता-धर्ताओ को अपनी दुकान मे फैली अव्यवस्थाओ की पोल खुलती नजर आई|उन्होने इन दोनों युवको को बुलाकर,मामला शांत करने के लिए प्रलोभन देना शुरू किया|मोटी रकम का नाम सुनकर,दोनों युवक भी मिष्ठान भंडार के कर्ता-धर्ताओ के झांसे मे आ गए और बिना सोचे-समझे दो लाख रुपए मे डील तय कर ली|मिष्ठान भंडार के कर्ता-धर्ताओ ने एक लाख रुपए का भुगतान इन दोनों युवको को कर दिया और अपने मालिक भूदेव देवड़ा के विदेश मे होने की बात कह कर,उनके आने पर शेष एक लाख रुपए देने का वादा कर लिया|

आखिर कैसे रची गयी शिकायतकर्ताओ को ब्लेकमेलर साबित करने और मीडिया को गुमराह करने की साजिश?

इसी बीच फ़र्स्ट इंडिया न्यूज और अन्य सोशल मीडिया के द्वारा इस खबर को प्रमुखता से उठाने पर,मिष्ठान भंडार के मालिक भूदेव देवड़ा को अपने प्रतिष्ठान की बदनामी का भय सताने लगा और उन्होने दोनों युवको से बदला लेने और अपने ब्रांड की धूमिल होती प्रतिष्ठा को बचाने की ठानी|जिसके चलते उन्होने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए दिनांक 21/06/2022 को इन दोनों युवको के खिलाफ श्याम नगर थाने मे ब्लेकमेलिंग की एफ़आईआर अपने विश्वसनीय मेनेजर शंकर लाल के द्वारा करवा दी गयी|

चूंकि मामला रसूखदार कचौरी वाले का था,अतः पुलिस ने भी ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए,मामले मे सामने आए दोनों युवको के खिलाफ आईपीसी की धारा 386 मे एफ़आईआर संख्या 0311/2022 दर्ज कर,दोनों को थाने बुला लिया|लेकिन दोनों युवको पर धारा 386 मे कार्यवाही करने की बजाय,दोनों युवको को डराने की नियत से महज आईपीसी की धारा 151 मे बंद कर दिया गया|

जैसे ही पुलिस द्वारा दोनों युवको के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज कर,गिरफ्तार किया गया, मिष्ठान भंडार के कर्ता-धर्ताओ ने तुरंत मीडियाकर्मियों को बुलाकर,इस झूठी कहानी को बढ़ा-चढ़ा कर परोस दिया|उन्होने मीडियाकर्मियों को अपने अजमेर रोड,सोडाला स्थित कचौरी के कारखाने पर ना बुलाकर,उन्हे पोलो विक्ट्री स्थित अपने कारखाने पर बुलाया और यह कहकर,गुमराह किया की दोनों युवको द्वारा अपने घर जाकर,वहाँ पर उक्त कचौरी के टुकड़े मे भुनी हुई मछली को रखकर,फोटो खींचा गया या विडियो बनाया गया और ब्लेकमेल करने की नियत से दुकान आकर 50000 रुपए की मांग की|

(राजस्थान पत्रिका और अन्य समाचार पत्र पत्रिकाओ/चैनलो मे प्रकाशित खबर के अनुसार)

जब पुलिस के पास ब्लेकमेलिंग के पर्याप्त सबूत थे,तो क्यूँ आईपीसी की धारा 386 मे कार्यवाही करने की बजाय,दोनों शिकायतकर्ताओ को 151 मे गिरफ्तार कर,डराने का प्रयास किया गया?

इस मामले मे सबसे बड़ा सवाल श्याम नगर पुलिस की कार्य शैली पर उठता है|दिनांक 21/06/2022 को रावत मिष्टान भंडार के मैनेजर शंकर लाल विश्नोई द्वारा दोनों युवको के विरुद्ध ब्लेकमेल की नियत से कचौरी मे मछली होने, और सबूत के तौर पर एक वीडियो क्लिपिंग भी होने का हवाला दिया गया,समाचार पत्रो मे प्रकाशित खबरों मे मिष्टान भंडार का एक कर्मचारी दोनों युवको को 50000 रुपए देता नजर आ रहा है|जिसके चलते पुलिस द्वारा इन दोनों युवको के विरुद्ध आईपीसी की धारा 386 के तहत मामला दर्ज किया|लेकिन हैरानी की बात यह है कि श्याम नगर पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 386 मे कार्यवाही नहीं करते हुए,दोनों युवको को शांति भंग करने वाली धारा 151 मे बंद कर दिया|ऐसे मे सवाल उठना लाज़मी है कि तमाम सबूतो,गवाहो के बावजूद पुलिस को राठौड़ी करने की जरूरत कहाँ आन पड़ी?क्या पुलिस ने इस मामले मे संबन्धित कचौरी,उसमे मृत छिपकली,मिष्टान भंडार के सीसीटीवी कैमरे फुटेज,दिये गए रुपयों को जब्त किया?क्या इस मामले मे दोनों युवको,उनके परिजनो,मिष्टान भंडार के कर्मचारियो के बयान दर्ज किए?दो महीने बाद इस एफ़आईआर का क्या हाल है?वो दोनों युवक कहाँ है?क्या सच्चाई को उजागर करना गुनाह है?

सीएमएचओ नरौत्तम शर्मा की कार्यप्रणाली भी शक के दायरे मे!!आखिर क्यूँ उनके द्वारा अब तक कचौरी मे छिपकली या मछली होने की पुष्टि नहीं की गयी है?

इस मामले मे फ़र्स्ट इंडिया को दिये गए अपने इंटरव्यू मे सीएमएचओ नरोत्तम शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है और कचौरी के सेंपलों की लेबोरेट्री मे जांच करवायी जा रही है|लेकिन जैसे कि यह मामला शांत हुआ,उनकी तरफ़ से भी किसी प्रकार की कार्यवाही की कोई सूचना मीडिया मे नहीं आई|ऐसे मे सीएमएचओ की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान उठना स्वाभाविक है|जनता के मन मे यही सवाल आ रहे है कि सीएमएचओ द्वारा उक्त कचौरी और उस मरी हुई छिपकली/मछली की जांच करवायी गयी थी या नहीं?यदि वाकई कचौरी मे छिपकली थी तो खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत मिष्ठान भंडार के कर्ता धर्ताओ के विरुद्ध कार्यवाही क्यूँ नहीं की गयी?

जवाब मांगते सवाल?

इस घटना के दो महीने बाद जब एक विश्वसनीय सूत्र द्वारा मिष्ठान भंडार के कर्ता-धर्ताओ की इस साजिश का पर्दाफ़ाश किया तो इसके साथ ही कई सवाल भी उठ खड़े हो रहे है,शायद जिनका जवाब ना तो इस मामले से संबन्धित जिम्मेदार अधिकारियो के पास है और ना ही मिष्ठान भंडार के कर्ता-धर्ताओ के पास|

मिष्ठान भंडार के एक कक्ष मे दोनों युवको को लिफाफा देता मिष्ठान भंडार का एक कर्मचारी,समाचार पत्रो मे प्रकाशित खबर के अनुसार मिष्ठान भंडार द्वारा 50000रुपए दिये गए|जबकि एफ़आईआर संख्या 0311/2022 मे रुपयो के लेन-देन की कोई बात नहीं लिखी गयी है|

- आखिर क्यूँ जांच प्रक्रिया द्वारा क्लीन चिट्ट लेने की बजाय,रावत के कर्ताधर्ताओ ने शॉर्ट कट अपनाया?
- दुकान के मैनेजर शंकर लाल के अनुसार जब उनकी दुकान की कचौरी से छिपकली निकल ही नहीं सकती और इस मामले मे दोनों युवको द्वारा जानबूझ कर,छिपकली की जगह एक्वेरियम की छिपकली को डाला गया था,तो उन्हे डरकर,दोनों युवको को 50000 देने की क्या जरूरत थी?
- जब पुलिस के पास ब्लेकमेलिंग के पर्याप्त सबूत थे,तो क्यूँ आईपीसी की धारा 386 मे कार्यवाही करने की बजाय,दोनों शिकायतकर्ताओ को 151 मे गिरफ्तार कर,डराने का प्रयास किया गया?
- क्या इस प्रकरण मे श्याम नगर पुलिस द्वारा उक्त कचौरी,उसमे से निकली छिपकली,सीसीटीवी कैमरे फुटेज और

ब्लेकमेलिंग मे प्रयुक्त 50 हजार रुपयो को जब्त कर,अग्रीम जांच करवाई गयी?

छिपकली का जहर कितना घातक?

- क्या इस मामले मे पुलिस द्वारा दोनों युवको,उनके परिजनो,मिष्ठान भंडार के कर्मचारियो के बयान लिए गए?
- इस प्रकरण मे श्याम नगर थाने मे दर्ज एफ़आईआर संख्या 0311/2022 का क्या हुआ?
- क्या यह सही नहीं है कि रावत मिष्टान भंडार द्वारा ही उन दोनों युवको को रुपए का लालच देकर,खरीदने और मामला रफा-दफा करने की कोशिश की गयी थी?
- रावत मिष्टान भंडार के कर्ता धर्ताओ और दोनों युवको के बीच कितनी राशि मे सेटलमेंट होना तय किया गया था?
- आखिर क्यूँ रावत मिष्टान भंडार द्वारा मीडिया को गुमराह करने के लिए,उन्हे अपने पोलोविक्ट्री स्थित कारखाने की विजिट करवायी गयी?जबकि कचौरी मे छिपकली उसकी अजमेर रोड स्थित दुकान मे निकली थी?
- फ़र्स्ट इंडिया न्यूज द्वारा प्रकाशित समाचार मे, जिस ग्राहक द्वारा रावत कचौरी के पक्ष मे गुणगान किया जा रहा था,क्या वह शख्स रावत मिष्टान भंडार का ही कर्मचारी नहीं है?
- रावत मिष्टान भंडार के मेनेजर शंकर लाल विश्नोई के अनुसार,क्या कचौरी के टुकड़े मे जानबूझ कर,एक्वेरियम की फिश को फ्राई कर,डाला गया था?
- सीएमएचओ द्वारा उक्त कचौरी और उस मरी हुई छिपकली/मछली की जांच करवायी गयी थी या नहीं
- यदि करवायी गयी थी तो सीएमएचओ नरौत्तम शर्मा द्वारा क्यूँ अब तक कचौरी मे छिपकली या मछली होने की पुष्टि नहीं की गयी है?
- यदि वाकई कचौरी मे छिपकली थी तो खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत मिष्ठान भंडार के कर्ता धर्ताओ के विरुद्ध कार्यवाही क्यूँ नहीं की गयी?
- क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 34(कई लोगो का समान इरादे से आपराधिक कृत्य मे शामिल होना) ,201 (अपराध के साक्ष्यों का विलोपन,अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए साक्ष्यों का विलोपन)177(झूठी जानकारी देने) के तहत संबन्धित मिष्टान भंडार के कर्मचारियों और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी?